Paper Publish

ISSN-0970-7603
A Peer Reviewed Journal

भारतीय शिक्षा शोध पत्रिका

BHARATIYA SHIKSHA SHODH PATRIKA

वर्ष 38, अंक 2, जुलाई–दिसम्बर 2019
Vol. 38, No. 2, July-December 2019

PAPER Publish 2020

भारतीय शिक्षा शोध संस्थान
सरस्वती कुंज, निराला नगर, लखनऊ–226020 (उत्तर प्रदेश)
Bharatiya Shiksha Shodh Sansthan
Saraswati Kunj, Nirala Nagar, Lucknow-226020 (Uttar Pradesh)
Ph. No. 0522-2787816, E-mail: sansthanshodh@gmail.com
Website : www.bssslko.org.in

विषय-सूची
Contents

*	भारतीय शिक्षा शोध संस्थान के प्रकाशन		2
*	सम्पादकीय / Editorial		3
	शोधपत्र / Research Articles		
*	छात्राध्यापकों के शिक्षण कौशल-प्रयोग की निपुणता पर विभिन्न विभिन्न प्रकार के पृष्ठपोषणों का अध्ययन	मन्जू सोनी डॉ. सपना जोशी	5
*	कानपुर नगर के मदरसों के प्रति विद्यार्थियों की सन्तुष्टि : एक अध्ययन	डॉ. सरफराज अहमद	11
*	A Study of Relationship between Cognitive Style and Social Maturity of Graduation Level Students	Sudhansu Kumar Pandey	20
*	Short Analysis of Teachings of Sri Aurobindo	Dr. Geetanjali	28
*	Emotional Intelligence of visually impaired Students : A Study	Paritosh Majhi Prof. Amita Bajpai	35
*	पं. दीनदयाल उपाध्याय के चिन्तन में राष्ट्र और राज्य	डॉ. धीरज सिंह	41
*	समावेशी-शिक्षा के प्रति उच्च माध्यमिक स्तर के विज्ञान व कला संकाय के अध्यापकों की जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन	डॉ. श्रीकान्त भारतीय अनिल कुमार शर्मा	47
*	कक्षा नवम् के विद्यार्थियों की विज्ञान विषय में उपलब्धि के सन्दर्भ में अधिगम आव्यूह की प्रभाविता का अध्ययन	डॉ. (श्रीमती) स्मिता भवालकर नलिनी शर्मा	56
	शोध टिप्पणी / Research Note		
*	Impact of Gender Negociation on Culture	Arti Gupta	61
*	समावेशी शिक्षा : चुनौतियाँ एवं समाधान	डॉ. रानी दुबे मनोज कुमार सिंह	64
*	Swami Vivekananda and Transcendental Humanism	Dr. Nupur Sen	67
	विविध / Miscellaneous		
	पुस्तक समीक्षा : 1. 'कार्यरत महिलाओं का सशक्तीकरण'	डॉ. विभा दत्ता	69
	2. 'समाज कार्य सिद्वान्त एवं अभ्यास'	अमित कुमार कुशवाहा	69
	समसामयिक गतिविधियाँ / Current Events		71
	शोध आलेख प्रकाशनार्थ भेजने के पत्र का प्रारूप		73
	Format of Letter for Sending Research Article/Research Note for Publication		74
	लेखकों के सूचनार्थ / Information for Contributors		75

समावेशी शिक्षा : चुनौतियाँ एवं समाधान

** डॉ. रानी दुबे*
*** मनोज कुमार सिंह*

प्रस्तावना :

इस वसुन्धरा पर मानव सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना जाता है। इसी श्रेष्ठता को कायम व निरन्तर बनाये रखने में शिक्षा अहम् भूमिका निभाती है। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने अन्दर छिपी हुई प्रतिभा को निखार सकता है। इसी शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति का, राष्ट्र का व सम्पूर्ण विश्व का विकास सुनिश्चित होता है। जितना अधिक हमारा अवाम शिक्षित होगा, उतना ही विकास आसान व तीव्रगामी होगा। ऐसा नहीं कि शिक्षा के लिए प्रयास नहीं किया गया, प्रयास निरन्तर होता ही रहा है परन्तु यह प्रयास देश, काल व परिस्थिति के अनुसार हमेशा परिवर्तित होता रहा है। वर्तमान में जो शिक्षा का स्वरूप देखा जा रहा है, वह शिक्षा में मनोविज्ञान का समावेशन सुनिश्चित करता है। यह एक नवीनता के सन्दर्भ को परिलक्षित करता है, जिसमें बालकों के अनुरूप शिक्षा का विकास सुनिश्चित माना गया है। इस दृष्टि में प्रत्येक बालक की व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुये शिक्षा का संचालन उचित माना गया। विभिन्न प्रकार के बच्चे विभिन्न प्रकार की योग्यता धारण करते हैं। इन विभिन्न योग्यता के विद्यार्थियों की शिक्षा की व्यवस्था भी विभिन्न प्रकार से की गयी। परन्तु इस विभिन्नता को लेकर जो विभिन्न प्रकार की शिक्षा व्यवस्था समाज में स्थापित की गयी थी, वह संविधान के समानता, स्वतन्त्रता को पूर्ण रूप से अनुपालन में सार्थक प्रतीत नहीं होती। इसके अलावा शिक्षा व्यवस्था में जहाँ सामान्य बालक व दिव्यांग बालक (जिन्हें आजकल विशिष्ट आवश्यकताओं वाले विद्यार्थी कहा जाता है) अलग-अलग शिक्षा ग्रहण करते हैं। ऐसी शिक्षा व्यवस्था के मद्देनजर विशिष्ट बालकों को हीनता, अलगाव और पृथकता का अनुभव महसूस करना पड़ता था, जबकि शिक्षा बाल केन्द्रित है। ऐसे में प्रत्येक बालक को ध्यान में रखकर कार्यक्रम का निर्माण किया जाना था। असमर्थ बालक विशिष्ट स्कूलों में अध्ययन तो कर लेता है, परन्तु उसका सम्पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। ऐसा बालक अपने आप को समाज से अलग कटा हुआ महसूस करने लगता है, और उसके अन्दर हीन भावना घर करने लगती है। विभिन्न शिक्षाविदों ने यह महसूस किया कि यदि सामान्य और विशिष्ट बालकों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाये तो दोनों एक दूसरे के नजदीक आयेंगे, जिससे असमर्थ बालक में जीवन के प्रति चुनौती और सामान्य बालकों में उनके प्रति सहानुभूति का भाव विकसित होगा। इस प्रकार से संस्कृति, समाज एवं देश की मुख्यधारा से जुड़ने का अवसर भी प्राप्त होगा।

समावेशी शिक्षा :

समावेशी शिक्षा से तात्पर्य ऐसी शिक्षा प्रणाली से है, जिसमें प्रत्येक बालक को चाहे वह विशिष्ट हो या सामान्य, बिना किसी भेदभाव के, एक साथ, एक ही विद्यालय में, सभी आवश्यक तकनीकों व सामग्रियों के साथ, उसकी सीखने-सिखाने की जरूरतों को पूरा किया जाये। समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधताओं को स्वीकार करने की एक मनोवृत्ति है, जिसके अन्तर्गत विविध क्षमताओं वाले बालक सामान्य शिक्षा प्रणाली में एक साथ अध्ययन करतें हैं (ठाकुर, यतीन्द्र 2016, पृ. 307)।

समावेशी शिक्षा का विकास :

समावेशी शब्द का प्रचलन 1990 के दशक के मध्य से बढ़ा, जब 1994 में सलामांका (स्पेन) में यूनेस्को द्वारा विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं पर विश्व सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन का समापन इस उद्घोषणा के साथ

* विभागध्यक्ष, शिक्षाशास्त्र विभाग, डॉ. हरीसिंह गौर केन्द्रीय वि.वि. सागर (म.प्र.)
** शोध छात्र, शिक्षाशास्त्र विभाग, डॉ. हरीसिंह गौर केन्द्रीय वि.वि. सागर (म.प्र.)

हुआ कि, "प्रत्येक बच्चे की चरित्रगत विशिष्टताएँ, रुचियाँ, योग्यता और सीखने की आवश्यकताएँ अनोखी होती हैं। इसलिए शिक्षा प्रणाली में इन विशिष्टताओं और आवश्यकताओं की व्यापक विविधता को ध्यान में रखना चाहिए (कुमार, संजीव, 2008 पृ.सं. 299)। वर्ष 2000 में डकार (सेनेगल) विश्व शिक्षा मंच पर भी शिक्षा में समावेश की बात दुहरायी गयी तथा इस सम्मेलन में कहा गया कि, "किसी व्यक्ति या बच्चे को उच्च कोटि की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने के अवसर से केवल इसलिए वंचित नहीं किया जाना चाहिए कि वह सामर्थ्य से परे है।" विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 के विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए कार्यनीतियों को क्रियान्वयन द्वारा कहा गया कि, "अलगाव या अकेलापन तो विकलांग और सामान्य दोनों ही प्रकार के लिए ठीक नहीं है।" सामाजिक आवश्यकता तो इस बात की है कि, विशेष जरूरतों वाले छात्रों की शिक्षा भी ऐसे 'एक समान विद्यालयों' (इन्क्लूसिव स्कूल) में हो जो मूल्य-प्रभावी हो और शिक्षाशास्त्रीय प्रविधियों में भी सुदृढ़ हो। ऐसी शिक्षा नीति जिसमें सामान्य व विशिष्ट आवश्यकता वाले विद्यार्थी एक साथ अध्ययन कर सकें, को द्रुत गति 'राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005' ने प्रदान की तथा अपने समावेशन की नीति में उल्लेख किया कि समावेशन की नीति को हर स्कूल और सारी शिक्षा व्यवस्था में व्यापक रूप से लागू किए जाने की जरूरत है। बच्चे के जीवन के हर क्षेत्र में वह चाहे स्कूल में हो या बाहर, सभी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है।

समावेशी शिक्षा स्कूल के द्वार पर ही समाप्त नहीं हो जाती, उसकी पहुँच प्रशिक्षण, रोजगार और अपने लिए सबसे उपयुक्त जीवन-शैली के चयन के मौकों तक जाती है। इसका अर्थ है कि बौद्धिक तौर पर अक्षम लोग भी अपने निर्णय स्वयं ले पाएँ, विशेष तौर से उन पक्षों पर जो उनके जीवन को प्रभावित कर सकतें है (बाला सुन्दरम, प्रमिला 2015, पृ.सं. 25)।

समावेशी शिक्षा के समक्ष चुनौतियां :

विभिन्न पहलुओं के अध्ययन के पश्चात् यह कहा जा सकता है कि, समावेशी शिक्षा आधुनिक समय की मांग के साथ-साथ भारतीय लोकतंत्र व संवैधानिक प्रावधानों के अनुपालन तथा समाज के समतामूलक विकास के साथ-साथ आर्थिक रूप से अनुकूल प्रतीत होता है। इन तमाम उपलब्धियों के बावजूद आज भी समावेशी शिक्षा के लिए तमाम चुनौती बनी हुई है-

- व्यक्तियों की मनोवृत्तिक बाधाएं, जागरूकता का अभाव।
- प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी, विद्यालय और कार्यस्थल पर प्रणाली में बदलाव का न होना, नीतियों और कानूनों का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन न हो पाना, उचित पाठ्यचर्या का निर्माण।
- सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक और भाषाई आधार पर विभिन्नता के कारण कार्यक्रम के विकास में अवरोध, पूर्वाग्रह से ग्रसित मानसिकता, लिंग भेद।
- उन्नत तकनीकी संसाधनों का अभाव, शैक्षिक स्तर घटने की आशंका, अर्थ/धन की कमी।

समाधान :

विभिन्न समस्याएं जो आज भी समावेशी शिक्षा के लिए चुनौतियाँ बनी हुई हैं, इन चुनौतियों को दूर करना लाजिमी है जिससे समावेशी शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। वस्तुस्थिति कुछ ऐसे उपाय निम्न बिन्दुओं के माध्यम से सुलझाये जा सकतें हैं-

- मनोवृत्तिक रूप व्यक्तियों को यह समझाना कि, अशक्त बालक भी विकास में सहायक है। विधाता का अभिशाप नहीं। उनको हेय दृष्टि से देखने की जरूरत नहीं। आज बहुत से दिव्यांग व्यक्ति इतिहास रच रहे हैं, उन्हें जरूरत है तो सही उपचार, शिक्षा व उचित दिशा की।

- प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी पूरी की जाए, विद्यालय और कार्यस्थल पर प्रणाली में बदलाव किया जाये तथा कक्षा का निर्माण बच्चों के अनुकूल बनाया जाये, जिसमें प्रशासक व शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। जैसा कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में भी जिक्र किया गया है कि, स्कूल प्रशासकों और शिक्षकों को यह समझना चाहिए कि जब भिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और भिन्न क्षमता स्तर वाले लड़के-लड़कियाँ एक साथ पढ़तें है तो कक्षा का वातावरण और भी समृद्ध तथा प्रेरक होता जाता है।
- विविधतापूर्ण बालकों में उचित पठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जा सकती है, जैसाकि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में जिक्र भी है, बच्चों की भागीदारी एक बड़े लक्ष्य को पाने का जरिया है। यह लक्ष्य है हमारी संस्कृति के समतामूलक, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्षी और समानता के मूल्यों में नई जान डालने का। इन मूल्यों को एक अच्छी तरह तैयार की गयी पाठ्यचर्या के द्वारा चरितार्थ किया जा सकता है, जो बच्चों को भागीदारी के लिए तैयार करे। इस प्रकार से बच्चों को शिक्षक स्वीकार करे तथा उनको शिक्षित करना अपना कर्तव्य समझे।
- बिना माता-पिता, समाज के सहयोग से समावेशी शिक्षा का लक्ष्य पूरा नहीं हो पायेगा। इसके लिए सभी को जागरूक करना होगा। इसमें व्यापक रूप से प्रचार प्रसार विभिन्न समाचार पत्र-पत्रिकाओं, टी.वी. चैनलों तथा नुक्कड़ व नाटक के माध्यम से किया जा सकता है।
- समाज में फैले हुई भेदभाव को मिटाना होगा चाहे वह सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, भाषाई या लिंग भेद ही क्यों न हो।
- शिक्षण का कार्य और भी आसान हो जाता है, जब उसमें हम तकनीकी का प्रयोग करते हैं। जितनी ही उन्नत तकनीक होगी, हम बच्चों को उतनी ही सरलता से तथा कम समय में समझा सकते हैं। इसलिए उन्नत तकनीकी की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे पढ़ने, सुनने व अभिव्यक्ति मे सहायता मिल सके। इसके परिप्रेक्ष्य में डॉ. करन सिंह ने अपनी पुस्तक 'Evalution Write Up' में श्रवण, मनन व निदिध्यासन को 'मील का पत्थर' मानते हुए कहा है कि, जब कोई सुनता है या पढ़ता है, तो पहला मील का पत्थर है, ध्यान लगाना दूसरा मील का पत्थर है तथा अभिव्यक्ति तीसरा मील का पत्थर है। इस प्रकार उन्नत तकनीक की उपलब्धता आवश्यक है।
- बहुत से लोग आशंकित होते हैं कि, सामान्य बच्चों के साथ विकलांग बच्चे अध्ययन करेंगे तो सामान्य बच्चों का शैक्षिक स्तर घट सकता है। ऐसी मानसिकता को दूर करने की जरूरत है।
- अर्थ या धन एक ऐसा महत्वपूर्ण कारण है जिसके अभाव में सारे काम अवरुद्ध हो जाते हैं, चाहे उपकरण खरीदना हो, अनुकूल भवन निर्माण करना हो या अध्यापकों का वेतन हो, आदि। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसकी पूर्ति बिना अर्थ के पूर्ण नहीं हो पाती, जिससे अनेक बाधाएं समक्ष आती हैं। इसलिए धन की उपलब्धता आवश्यक है, जिसके लिए सामाजिक सहयोग, सरकारी फण्ड इत्यादि माध्यमों से पूर्ति की जा सकती है।

निष्कर्ष :

समावेशी शिक्षा अपनी सामर्थ भूमिका निभाती है तो सभी के लिए उपयोगी होगी। इसके समर्थ भूमिका में आने वाली विभिन्न चुनौतियों को दूर करके यह हासिल किया जा सकता है। निश्चित रूप से आधुनिक सोच के रूप में जिस समावेशी शिक्षा का क्रियान्वयन किया जा रहा है, वह आने वाले समय में एक सकारात्मक फलदायी सिद्ध हो सकती है। विभिन्नता को एकता के सूत्र में पिरोने वाली यह समावेशी शिक्षा यदि अपने संक्रियात्मक लक्ष्य को पाती है तो समाज में आमूल-चूल परिवर्तन की गुंजाइश होगी।

❖❖❖